राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 18-8-2025
160/2019	17.07.2019	

उनवानः

1. रामभूप पुत्र स्व0 श्री दत्तू जाति चमार
2. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री दत्तू जाति चमार सभी निवासी ग्राम दौसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.........वादी

बनाम

1. उमराव पुत्र स्व0 श्री दत्तू जाति चमार निवासी ग्राम दौसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. श्रीमान् उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
3. भूमिधारी, तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः– श्री राधेश्याम यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री विजयसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से ।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1164 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम दौसोद तहसील नीमराना मे स्थित है। जो आराजी जमाबन्दी संवत 2066 से 2072 के इन्द्राज के मुताबिक उमराव रामभूप राजकुमार पिसरान दत्तू बीरली बेवा दत्तू समभाग चमार सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। चुंकि बीरली का स्वर्गवास हो गया है। इसलिए आराजी मुतनाजा मे वादीगण हिस्सा–2/3 के व प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा–1/3 पर संयुक्त रूप से काबिज रहकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा सहखातेदारी की होने के कारण आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच इंच पर हम वादीगण के हक व हकूक निहित है।.हम वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादी सं0 1 को विधिवत रूप से तकासमा करवाने के लिए कहा है लेकिन प्रतिवादी सं0 1 हर बार कुछ ना कुछ बाहना बनाकर टाल–बाल करता रहा और दिनांक 14.05.2018 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने परिवार के सदस्यो की सहायता से आराजी मुतनाजा के अच्छा से अच्छा भाग पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया उस समय तो हम वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 को उनकी मर्जी के मुताबिक आराजी मुतनाजा पर कब्जा नही करने दिया लेकिन बाद मे फिर प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आराजी मुतनाजा के अच्छा से अच्छा भाग पर कब्जा करने के लिए नींव खोदना चालू कर दिया जिसका हम वादीगण द्वारा विरोध किया तो प्रतिवादी सं0 1 ने धमकी दी कि मै आराजी मुतनाजा का अच्छा से अच्छा भाग पर जबरन कब्जा कर उस पर जबरन निर्माण करके रहूंगा। इसलिए आराजी मुतनाजा अब सामूहिक रूप से काश्त किया जाना सम्भव नही होने के कारण आराजी मुतनाजा के अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के हिसाब से कुर्रे रिपोर्ट मंगवाई जाकर आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 की ओर से बाद तामिल श्री विजयसिंह चौहान ने वकालतनामा पेश किया गया तथा वादीगण के दावा के सभी तथ्यो को इंकार करते हुए जबाब पेश

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

किया गया कि आराजी मुतनाजा पर वादीगण कभी भी काबिज नही रहे है ना ही मौके पर वादीगण का कब्जा है। बल्कि आराजी मुतनाजा पर मिन प्रतिवादी सं0 1 काबिज हूँ। आराजी मुतनाजा मुझे काश्त के लिए दी थी। मैने उक्त आराजी पर काफी पैसालगाकर आराजी मुतनाजा को काबिल काश्त बनाया है। वादीगण ने कहा था कि बैठकर हिसाब कर लेगें । जो आपका खर्चा लगेगा वो आपको दे देगे। तब तक आपका ही कब्जा रहेगा। मैने कभी भी वादीगण को उनका हिस्सा देने से मना नही किया। लेकिन बैठकर हिसाब नही करते है और यह दावा गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो काबिल खारिज है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्षो के अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम किये जाकर,तथा उभय पक्षो की साक्ष्य सबूत के आधार पर वादीगण के वाद पत्र को न्याय हित मे दिनांक 18.11.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया।

तहसीलदार नीमराना द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.11.2022 की पालना मे वादग्रस्त खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम दौसोद तसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड की कुर्रे रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 24.07.2025 को तैयार करवाकर, इस न्यायालय मे दिनांक 29.07.2025 पेश की गई। वकील वादीगण उपस्थित तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नही की गई। इसलिए तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिर्पोट के आधार पर वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 24.07.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम दौसोद तसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है कि:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	उमराव पुत्र दाताराम हि0–1050/1200 जाति चमार सा0 देह खातेदार	1164/1	0.12
2.	मन्जू पुत्री दाताराम हि0 150/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.12 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजकुमार पुत्र दाताराम हि0–1050/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार	1164/2	0.24
2.	रामभूप पुत्र दाताराम हि0–हि0–1050/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार		
3.	प्रेम पुत्री दाताराम हि0–150/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार		
4.	किरोडी पुत्री दाताराम हि0–हि0–150/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.24 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताविक तितम्मा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	अंतिम निर्णय दिनांक 18-8-2025
160 / 2019	17.07.2019	

उनवान:

1. रामभूप पुत्र स्व0 श्री दत्तू जाति चमार
2. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री दत्तू जाति चमार सभी निवासी ग्राम दौसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.........वादी

बनाम

1. उमराव पुत्र स्व0 श्री दत्तू जाति चमार निवासी ग्राम दौसोद तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. श्रीमान् उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
3. भूमिधारी, तहसीलदार नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

......प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकसीम आराजी एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0ए0

उपस्थितिः– श्री राधेश्याम यादव योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री विजयसिंह चौहान योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से ।

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण,तहसीलदार नीमराना द्वारा पेश कुर्रे रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 24.07.2025 के मुताबिक खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.36 है0, वाके ग्राम दौसोद तसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड के, तकसीम की डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है किः–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	उमराव पुत्र दाताराम हि0–1050/1200 जाति चमार सा0 देह खातेदार	1164/1	0.12
2.	मन्जू पुत्री दाताराम हि0 150/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.12 है0	

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा है0
1.	राजकुमार पुत्र दाताराम हि0–1050/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार	1164/2	0.24
2.	रामभूप पुत्र दाताराम हि0–हि0–1050/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार		
3.	प्रेम पुत्री दाताराम हि0–150/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार		
4.	किरोडी पुत्री दाताराम हि0–हि0–150/2400 जाति चमार सा0 देह खातेदार	कुल किता–1 रकबा 0.24 है0	

उपरौक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे पृथक–पृथक खाता व लगान कायम कर अमल दरामद किये जाने एवं राजस्व नक्शा मे, कुर्रे रिपोर्ट मे दर्शित नक्शा के मुताबिक तितम्बा काटने के आदेश दिये जाते है। कुर्रे रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग भी रहेगा। खर्चा वाद, पक्षकार अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)